प्रशासनिक उदासीनता धकेल रही हिमाचल के भूमिहीनों को हाशिये पर: मंडी जिले में दमा देवी की अचानक मौत पर तथ्यान्वेषण की रिपोर्ट

अनुसूचित जाति समुदाय की 52 वर्षीय दमा देवी अपने पहले पति के देहांत के बाद अपने पुत्र, बहु व दूसरे पति गोवर्धन के साथ मंडी जिले की सेरी पंचायत के राज्स्व गांव टिक्करी में रहती थीं। 26 जुलाई को स्वस्थ और सक्रीय दमा देवी की मौत दिल के दौरे से अचानक हो गयी - जब उनके गाँव में वन विभाग के 6 अधिकारी उनसे अचानक वन भूमि पर कब्ज़ा करने के मामले में पूछताछ के लिए बिना किसी पुर्व नोटिस के गाँव आ पहुंचे। इस मामले में जांच करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों के दस सदस्यों की टीम ने 23 अगस्त को गाँव का दौरा किया और दमा देवी के परिवार तथा अन्य गाँव निवासियों से संपर्क किया।

दमा देवी की मौत: हादसा या वन विभाग की धमकियों और दबाव का नतीजा?

केवल 3 बिस्वा मल्कियत जमीन के मालिक होने के कारण, अपनी गुजर बसर के लिये उनका परिवार पीढ़ियों से पास कि 1-2 बीघा वन भूमि का उपयोग अपनी भूमि के रूप में करता आ रहा है। लेकिन उन्हें कभी इस भूमि का कानूनी पट्टा नहीं मिला। डी.पी.एफ़ तरलाजा के अंदर आने वाली वन भूमि पर दमा देवी के परिवार का गांव के कुछ अन्य परिवार, जिन्होंने पास में वन भूमि पर कब्जा कर मंदिर बना रखा है, के साथ आपसी झगड़ा था। तथ्यान्वेषण करने गयी टीम ने गांव-वासियों से हुई बातचीत में पाया कि उस इलाके में अधिकतर परिवारों ने पुश्तैनी समय से ही अपनी वास्तविक जरूरतों के लिये थोड़ी-बहुत वन भूमि को अपने अधिभोग में कर रखा है। परंतु आज तक उनके गांव में इस तरह से अधिभोगाधीन वन भूमि से जुडी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की थी।

26 जुलाई 2019 को मौके पर मौजूद डांगेल गांव की हंसा व नागेश्वरी देवी ने टीम को उस दिन का घटनाक्रम बताया कि पानी भरने गयी दमा देवी को सबसे पहले खाकी वर्दी पहने वन विभाग के कर्मचारियों ने ऊंची अवाज़ में ऊपर मन्दिर के पास बुलाया और एकत्रित जनता के सामने उसे उसके परिवार के अधिभोगाधीन वन भूमि से बेदखल करने के लिए धमकाने लगे। बिना किसी सूचना के अचानक इतने अधिकारियों को पहली बार देख व उनकी डांट-फ़ट्कार और धमकियां सुनकर दमा देवी डर कर, रोते-गिड़-गिड़ाते हुए यही कहती रही कि, "इस वन भूमि पर उसका पूरा परिवार निर्भर है।" लेकिन जब इसके बाद भी वन विभाग के कर्मचारियों ने धमकाना और बेदखली को लेकर डराना नहीं छोड़ा तब दमा देवी डर और अपमान के चलते मोके पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजदू लोगों के अनुसार वन विभाग के कर्मचारी तुरंत अपनी खाकी टोपियां उतार, बिना कोई सहायता किये वहां से चुपचाप भाग गये। नागेश्वरी देवी ने अवाज लगाकर दमा देवी के पुत्र देश राज को बुलाया और पूरी घट्ना सुनायी। अपनी मां को बेसुध गिरा देख, देश राज फोन कर

Figure 1 दमा देवी

एम्बुलेंस बुलवाकर खुद ही किसी तरह अपनी मां को अस्पताल ले गया। परन्तु अस्पताल में पता चला की तब तक दमा देवी कि मोके पर आये हार्टअटेक के कारण मृत्यु हो चुकी थी।

देश राज गोवर्धन के साथ, दुखभरी अवस्था में, उसी शाम ही इस घटना के बारे में एफ़.आई.आर दर्ज करवाने गोहर थाना पहुंचा और एक याचिका पत्र मुख्यमन्त्री महोदय, जिला उपायुक्त व एस.पी को भी लिखा। लेकिन उनकी एफ़.आई.आर 28 अगस्त तक थाने द्वारा दर्ज नहीं की गयी। 28 अगस्त को दर्ज़ कि एफ़.आई.आर में पीड़ित परिवार ने स्पष्ट मांग की कि सभी 6 वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 की धारा 3(1)(छ) के तहत जबरन बेदखली व भारतीय दन्ड सहिंता के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो। साथ ही गांव से दोषी 7 लोगों के खिलाफ़ भी कार्यवाही की मांग एफ़.आई.आर में रखी। लेकिन इस घट्नाक्रम में पुलिस कि ओर से न्याय कार्यवाही अत्यन्त ही ढ़ीली रही है और अभी चालू है।

गौर करने वाली बात है कि गावं में ज्यादातर परिवार के अधिभोग में थोड़ी वन भूमि है वन विभाग ने अन्य किसी परिवार को बेदखली को लेकर कुछ ना कहा, साथ ही दमा देवी के परिवार को बेदखली के बारे में किसी प्रकार का कोई कानूनी सूचना नोटिस पहले नहीं दिया गया। टीम की तथ्यान्वेषण रिपोर्ट के अनुसार दमा देवी कि अचानक हुई मौत का कारण, उस दिन गैर कानूनी तरीके से छानबीन करने पहुंचे वन विभाग के **6** कर्मचारियों का **40-50** लोगों के सामने दमा देवी को उनके परिवार द्वारा गुजर-बसर के लिये पुश्तैनी रूप से अधिभोग कि हुई वन भूमि से बेदखली को लेकर डराना धमकाना, जलील करने वाला निर्ममता भरा रवैया था। व्यक्ति की बेदखली नहीं हुई थी और ना ही लोगों ने इतने सारे वन विभाग के अधिकारियों को एक साथ पहले कभी देखा था।

Figure 2गाँव में दमा देवी के परिवार के साथ

हिमाचल में भूमिहीनों की स्थिति और वन भूमि से बेदखली का सिलसिला

दमा देवी के साथ हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रसाशन और राज्य सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। स्पष्ट तौर पर जानबूझ के की गयी, जबरन व गैर कानूनी रूप से वन भूमि से बेदखली कि इस तरह कि घटनाएं आये दिन अखबारों कि सुर्खियां बन रही हैं। कहीं पर लोगों से वन भूमि खाली करने को लेकर डराकर जबरन एफ़ीडेविट भरवायें गए हैं तो कहीं उनके बिजली -पानी के कनेक्शन काट दिये जाते हैं। अक्सर वन भूमि से बेदखली कि इस मार में पिसने वाले परिवार भूमिहीन, गरीब, अनुसूचित जाति, घुमन्तु पशुपालक के हाशिये व वंचित सामाज के लोग होते हैं। वैसे भी भूमिहिनता व भूमि संबंधी असुरक्षा से सबसे अधिक ग्रस्त अनुसूचित जाति समाज के लोग ही रहें हैं जिसके चलते वन भूमि पर उनकी निर्भरता भी बहुत अधिक रही है। 2011 में हुई सामाजिक आर्थिक जन गणना कि रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल 22,63,756 परिवारों में 23.97% (3,02,876) परिवार अनुसूचित जाति से हैं व कुल जोड़ में 22% (2, 70, 828) परिवार भूमिहीन हैं। जहां एक तरफ प्रशासन व राज्य सरकार अभी तक भूमिहीनता व अनुसूचित जाति एवं अन्य छोटे किसानों के लिये भूमि व खेती सुरक्षा को सुनिश्चित करने में असफ़ल रही है वहीं अपनी आजीविका के लिये पुश्तैनी समय से वन भूमि पर निर्भर परिवारों के अधिकारों को भी सुरक्षा या कानूनी मान्यता देने में पीछे रही है। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनेक नीतियां व कानून लाये गये हैं फ़िर चाहे वो नौतोड़ नियम हो या, भू-जोत सीमा (भूमि सीलिंग) अधिनियम, शामलात अधिनियम हो या 2002 में बनी भूमि नियमतिकरण नीति; परंतु वंचित वर्ग और वन भूमि पर निर्भर लोगों की ज़मीनी हकीकत में कोई परिवर्तन नही आया है। उदाहरण के लिये भूमिहीन लोगों में भूमि आवंटन के लिये भू-जोत सीमा अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार ने अपने कब्जे में 3,04895 एकड़ भूमि ली थी परंतु इसी अधिनियम की क्रियान्वयन प्रगति रिर्पोट 2007 के अनुसार इस भूमि को अभी तक बांटा नहीं गया। साथ ही अलाटेब्ल पूल में जो थोड़ी-बहुत भूमि बांटी गई, वे नपाई होकर लोगों को तो मिल गयी और वो उसका उपयोग भी सदियों से कर रहे हैं लेकिन लाखों लोगों को उसका कानूनी अधिकार पट्टा अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रशासनिक उदासीनता के साथ-साथ इसका एक प्रमुख कारण है कि वन भूमि पर आज तक देश के कई कड़े केंद्रीय वन कानूनों के कारण लोगों के अधिकारों व उपयोग पर सख्त रोक लगी रही है।

वन अधिकार कानून 2006 पर सरकार की बेरुखी

2006 में भारत के संसद ने वन भूमि पर निर्भर सभी समुदायों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता देने के लिए ही वन अधिकार कानून 2006 (Forest Rights Act - FRA, 2006) पारित किया जो किसी भी प्रकार की वन भूमि में लागू होता है। FRA के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकार दो प्रकार के समुदायों को दिए जाते हैं -वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी। अनुसूचित जाति समाज इस कानून के तहत 'अन्य परम्परागत वन निवासी' की श्रेणी में आता है परन्तु हिमाचल में इस कानून का क्रियान्वयन इतना ढीला रहा है कि न केवल अन्य परम्परागत वन निवासी की श्रेणी में आने वाले लोग बल्कि जनजातीय समुदायों को भी इसका फायदा अभी तक नहीं मिल पाया। हिमाचल में FRA के अनतर्गत दस वर्षों में 17,503 वन अधिकार समितियां बनी पर केवल लगभग 2500 दावे आये हैं और कुल 136 पट्टे टाईटल जारी किये गए हैं क्योंकि सरकार आज तक जनता को इस कानून पर जानकारी और भरोसा नहीं दिला पाई है। प्रशासन सरकार की लगातार यही भूमिका रही है कि यह कानून हिमाचल में इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ वन और राजस्व की बंदोबस्ती हो चुकी है। जबकि जनजातीय मंत्रालय ने कई बार हिमाचल सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि पुराने बंदोबस्त के बावजूद इस कानून के तहत

दावेदारों के वन अधिकारों को मान्यता देना अनिवार्य है। सच तो यह है कि राज्य में लाखों परिवार खेती और रिहाइश के लिए कई सालों से वन भूमि पर बिना पट्टे के काबिज हैं और इनमें से अधिकतर कब्ज़े 10 बीघा से कम भूमि के हैं। ऐसे परिवारों पर कोर्ट और प्रशासन के ढीले रवैये के चलते बेदखली का खतरा मंडराता रहता है- बल्कि हिमाचल में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं सामने आयीं हैं जहां भूमिहीन और वंचित परिवारों के ऊपर बेदखली की गाज गिराई गयी है जैसे 2018 में पौंटा साहिब और पालमपुर में बेदखली की घटनाएं सामने आई हैं। यह कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कानून की धारा 4(5) स्पष्ट कहती है कि जब तक वन अधिकारों के दावों की जांच और मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी अधिभोग की गयी वनभूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। FRA के क्रियान्वयन में मंडी ज़िले का मामला तो बाकी क्षेत्रों से और भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यहां 2014 से प्रशासन ने सभी गांवों की वन अधिकार समितियों से वन अधिकारों के सन्दर्भ में 'शून्य दावों' के प्रमाण पत्र लिए हैं, जो दर्शाता है कि इस कानून के तहत लोगों का वन भूमि पर कोई दावा नहीं है। इसके कदम के विरोध में 11 अप्रैल 2019 को हिमाचल वन अधिकार मंच द्वारा मंडी जिले में जनसभा और रैली का आयोजन भी किया गया था।

दमा देवी के मामले में तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उनकी मौत की वजह उनके अचानक से हुयी प्रशासनिक छानबीन थी जिसमें उनको गाँव के लोगों के सामने ज़लील कर, डरा-धमका कर दबाव डाला गया। यदि हिमाचल सरकार लोगों के अधिकारों को मान्यता देने में यही उदासीनता और बेरूखी दिखाती रही तो दमा देवी जैसे कई वंचित और गरीब लोग बेदखली और उसके दुष्प्रभावों का शिकार हो सकते हैं।

मुख्य मांगें

तथ्यान्वेषण टीम ने 10 पॉइंट का मांग पत्र तैयार किया है जो अलग अलग विभागों, जिला प्रशासन राज्य सरकार, केंद्र अनुसूचित जाती योग, मानवाधिकार आयोग आदि को सौंपा जा रहा है. इसमें निम्न मुख्य मांगे हैं:

- दमा देवी की मौत के मामले में तुरंत व उचित स्वायत और उच्च स्तरीय कार्यवाही की जाए
- वन विभाग द्वारा की जा रही ऐसी बेदखली की कार्यवाहियों की निगरानी कोर्ट द्वारा की जाए
- मुख्य-सचिव के माध्यम से वन अधिकार कानून, 2006 के शीघ्र व समावेषी क्रियान्वयन को ले कर तुरंत आदेश दिए जाने चाहिये जिसमें यह स्पष्ट हो कि किसी भी पात्र दावेदार की बेदखली नहीं की जाएगी।
- मंडी जिले से शुन्य दावों के जो सर्टिफिकेट जारी किये गए हैं उनको निरस्त कर वन अधिकार समितियों को दावे भरने के लिए प्रशिक्षण दिया जाये।
- जिन परिवारों के व्यक्तिगत वन अधिकार दावे 5 बीघा से कम हैं उनके दावों पर प्राथमिक रूप से कार्यवाही करने का प्रावधान होना चाहिए।

तथ्यावेशन टीम के सदस्य: विमला विश्वप्रेमी (राज्य संयोजक, पर्वतीय महिला अधिकार मंच), सावित्री देवी (जिला परिषद् सदस्य), खेम दासी(महिला वेल्फयेर बोर्ड), मंजुदेवी(SDLC सदस्य), अदिति (हिमधरा पर्यावरण समूह), सुखदेव विश्वप्रेमी (राज्य संयोजक, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान), बी आर भाटिया (राज्य सचिव, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान एवं स्वायत पत्रकार), डी.आर.कौंडल (पत्रकार -दैनिक भास्कर एवं सामाजिक कार्यकर्ता), भगत राम (ब्लाक संयोजक, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान)